

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक-29/03/17

विषय:- पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹449.925 करोड़ (चार सौ उनचास करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र राज्य में कार्यरत 140 नगर निकायों के बीच सहायक अनुदान रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

पंचम् राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद- 243-I-सह पठित- 243-Y के अनुपालन तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा- 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा- 71 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त विभागीय अधिसूना सं०- 12530, दिनांक- 13.12.2013 द्वारा किया गया। पंचम् राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री ए०एन०पी० सिन्हा द्वारा दिनांक- 02.02.2016 को समर्पित किये गये प्रतिवेदन के आलोक में वित्त विभाग द्वारा संकल्प सं०- 1510, दिनांक- 24.02.2016 निर्गत किया गया।

2. पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के शुद्ध कर राजस्व (SOTR) का 8.5% राशि में से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹638.54 करोड़ (छः सौ अड़तीस करोड़ चौवन लाख रु०) मात्र तथा अनुदान के रूप में राज्य के कुल व्यय के 2.75% में से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹287.31 करोड़ (दो सौ सतासी करोड़ एकतीस लाख रु०) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹925.85 करोड़ (नौ सौ पचीस करोड़ पचासी लाख रु०) मात्र में से प्रथम किस्त के रूप में क्रमशः ₹319.27 करोड़ (तीन सौ उन्नीस करोड़ सताइस लाख रु०) एवं ₹143.655 करोड़ (एक सौ तेतालिस करोड़ पैसठ लाख पचास हजार रु०) अर्थात् कुल ₹462.925 करोड़ (चार सौ बासठ करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र तथा मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना के लिए अनुदान की राशि में से कुल ₹13.00 करोड़ (तेरह करोड़ रु०) की स्वीकृति के पश्चात् द्वितीय किस्त के रूप में शेष राशि क्रमशः ₹319.27 करोड़ (तीन सौ उन्नीस करोड़ सताइस लाख रु०) एवं ₹130.655 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ पैसठ लाख पचास हजार रु०) अर्थात् कुल ₹449.925 करोड़ (चार सौ उनचास करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र राज्य में कार्यरत 140 नगर निकायों के बीच

CE

सहायक अनुदान के रूप में वितरित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 28.03.2017 के मद संख्या- 07 के रूप में प्रदान की गयी है।

3. वित्त विभागीय संकल्प सं०- 1510, दिनांक- 24.02.2016 द्वारा निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं:-

- (i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल व्यय (वास्तविकी) का 2.75% स्थानीय निकायों को Devolution + Grant के रूप में अंतरित किया जायेगा।
- (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Devolution के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व (SOTR) का 8.5% राशि स्थानीय निकायों को अंतरित की जायेगी।
- (iii) पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों को कुल हस्तांतरित होने वाली राशि का अंतर्विभाजन 70:30 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक किया जायेगा।
- (iv) स्थानीय निकायों को कुल अंतरित की जाने वाली राशि के द्वितीय किशत की विमुक्ति के पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि का लेखा एवं आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

4. स्थानीय शहरी निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग :-

- (क) अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग नगर निकायों द्वारा आयोग की अनुशंसा के अध्याय- 9 के अनुरूप किया जायेगा।
- (ख) पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा संख्या- 9.6.5 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान (Grant) के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग क्षमता वर्द्धन, ई० म्यूनिसिपलिटि एवं डाटा बेस प्रबंधन, प्रशिक्षण, Model City & Town Master Plan एवं DPR तैयार करने जैसे कार्यों पर किया जायेगा। अनुदान के वैसे घटक जिनके लिए केन्द्रीयकृत प्रबंधन करना आवश्यक होगा, उनके लिए विभाग द्वारा राशि के व्यय हेतु आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश दिये जायेंगे, जिसमें आवश्यकतानुसार केन्द्रीयकृत प्रबंधन भी किया जा सकेगा।
- (ग) PPP कार्यक्रम के अंतर्गत Viability Gap Funding एवं शहरी निकायों में SPUR जैसे विशेषज्ञ सेवाएँ (Professional Services) उपलब्ध कराने के लिए इसी मद से राशि दी जायेगी।
- (घ) Overall Performance के अंतर्गत दी जाने वाली राशि “मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना” के नाम से दिया जाएगा। वर्ष में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 01 नगर निगम को पाँच करोड़ रु०, 02 नगर परिषदों को तीन-तीन करोड़ तथा दो नगर पंचायतों को एक-एक करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जायेगी। यह राशि विभागीय संकल्प सं०- 1039, दिनांक- 17.02.2016 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध करायी जायेगी तथा संबंधित नगर निकाय द्वारा संकल्प के प्रावधानों के तहत व्यय की जायेगी।

18

5. **Devolution के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग :-**

(क) Devolution के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से नगर निकायों द्वारा 30 प्रतिशत राशि का व्यय “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना” पर किया जायेगा। इसके लिए नगर निकायों द्वारा अलग खाता खोलकर उतनी राशि उस खाते में रखी जायेगी।

(ख) Devolution के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से नगर निकायों द्वारा 20 प्रतिशत राशि का व्यय “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” पर किया जायेगा। इसके लिए नगर निकायों द्वारा अलग खाता खोलकर उतनी राशि उस खाते में रखी जायेगी।

6. विभागीय संकल्प संख्या- 6261, दिनांक- 12.09.2016 द्वारा यह निर्णय संसूचित है कि शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि में से 30 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना एवं 20 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना पर व्यय करने के साथ अवशेष 50 प्रतिशत राशि का व्यय नगर निकायों की आवश्यकतानुसार पूर्व से प्रावधानित उनके कर्मियों के वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभों के बकाये के भुगतान, ठोस कचरा-प्रबंधन एवं विद्युत विपत्रों के भुगतान के अतिरिक्त मासिक वेतन भुगतान तथा सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर भी कर सकेंगे।

7. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की कर्णांकित कुल राशि ₹92585.00 लाख (नौ सौ पत्तीस करोड़ पचासी लाख रु०) मात्र में से प्रथम किस्त तथा मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना हेतु राशि के आवंटन के पश्चात् विभागीय राज्यादेश सं०-353... दिनांक-29.03.2017 के आलोक में संलग्न सूची के अनुरूप अवशेष कुल राशि ₹449.925 करोड़ (चार सौ उनचास करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र आवंटित की जा रही है।

8. आवंटित कुल ₹449.925 करोड़ (चार सौ उनचास करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

9. राशि की निकासी के लिए पूर्व के अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के सामंजन के शर्त को मंत्रिपरिषद् द्वारा शिथिल किया गया है, इसलिए सभी कोषागार पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के सामंजन के बिना भी राशि की निकासी कर नगर निकायों के पी०एल० खाता में अंतरित की जाय।

10. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC बिपत्र पर नहीं की जायेगी। चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम-270 के आलोक में यथा TC फार्म संख्या-42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक- 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी० भी०

4

नंबर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय बिहार को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

11. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय-8 के टेबल 8.9 में की गयी अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि Devolution एवं Grant के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि के वितरण हेतु नगर निकायों के 2011 की जनसंख्या को 90 प्रतिशत भार (Weightage) तथा उनके क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत भार (Weightage) देने की स्वीकृति दी जाय। बी०पी०एल० परिवारों के लिए निर्धारित भार के समतुल्य राशि का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मलिन बस्तियों एवं कमजोर वर्ग से आच्छादित क्षेत्रों के विकास पर किया जायेगा।

12. (i) उक्त आवंटित कुल राशि ₹449.925 करोड़ (चार सौ उनचास करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र में से संलग्न विवरणी के स्तम्भ- 10 के कुल योग (क) में अंकित राशि ₹18331.78898 लाख (एक सौ तिरासी करोड़ एकतीस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ अठानवे रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 गैर योजना आय-व्ययक के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-80-सामान्य 191-नगर निगम को सहायता-0013-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान-विपत्र कोड- N 2217801910013 विषय शीर्ष-31 04, विषय शीर्ष-31 05 तथा विषय शीर्ष 31 06 से की जाएगी। इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्षों से राशि की निकासी राज्य के सभी नगर निगमों द्वारा की जाएगी। संलग्न विवरणी के स्तम्भ- 4 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष- 31 04 से, स्तम्भ- 5 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष- 31 05 से तथा स्तम्भ- 6 में अंकित राशि की निकासी 31 06 से की जायेगी, जिसका कुल योग संबंधित नगर निगमों के सम्मुख स्तम्भ- 7 में अंकित है।

(ii) उक्त आवंटित कुल राशि ₹449.925 करोड़ (चार सौ उनचास करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र में से संलग्न विवरणी के स्तम्भ- 10 के कुल योग (ख) में अंकित राशि ₹15222.77631 लाख (एक सौ बावन करोड़ बाईस लाख सतहत्तर हजार छः सौ एकतीस रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 गैर योजना आय-व्ययक के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-80-सामान्य 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-0005-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद को सहायक अनुदान-विपत्र कोड- N 2217801920005 विषय शीर्ष-31 04, विषय शीर्ष-31 05 तथा विषय शीर्ष 31 06 से की जाएगी। इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्षों से राशि की निकासी राज्य के सभी नगर परिषदों द्वारा की जाएगी। संलग्न विवरणी के स्तम्भ- 4 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष- 31 04 से, स्तम्भ- 5 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष- 31 05 से तथा स्तम्भ- 6 में अंकित राशि की निकासी 31 06 से की जायेगी, जिसका कुल योग संबंधित नगर परिषदों के सम्मुख स्तम्भ- 7 में अंकित है।

(iii) उक्त आवंटित कुल राशि ₹449.925 करोड़ (चार सौ उनचास करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र में से संलग्न विवरणी के स्तम्भ- 10 के कुल योग (ग) में अंकित राशि ₹11437.93471 लाख (एक सौ चौदह करोड़ सैंतीस लाख तिरानवे हजार चार सौ एकहत्तर रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष

2016-17 में मांग संख्या-48 गैर योजना आय-व्ययक के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-80-सामान्य 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-0005-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायक अनुदान-विपत्र कोड- N 2217801930005 विषय शीर्ष-31 04, विषय शीर्ष-31 05 तथा विषय शीर्ष 31 06 से की जाएगी। इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्षों से राशि की निकासी राज्य के सभी नगर पंचायतों द्वारा की जाएगी। संलग्न विवरणी के स्तम्भ- 4 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष- 31 04 से, स्तम्भ- 5 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष- 31 05 से तथा स्तम्भ- 6 में अंकित राशि की निकासी 31 06 से की जायेगी, जिसका कुल योग संबंधित नगर पंचायतों के सम्मुख स्तम्भ- 7 में अंकित है।

13. सभी नगर आयुक्त एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नगर निकाय के सम्मुख अंकित विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष से ही राशि की निकासी करें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार के विचलन की जिम्मेवारी संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

14. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि की संबंधित कोषागार से निकासी करना संबंधित नगर निकायों का दायित्व है।

15. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।


16. वित्त विभाग की सहमति संचिका सं०-2ब०/राज्य वित्त आयोग-25-02/2015 के पृ०-119/टि० पर दिनांक- 20.03.2017 को प्राप्त है।

17. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक- 28.03.2017 की बैठक के मद संख्या- 07 के रूप में प्राप्त है।

18. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार तथा अन्य को भी दी जा रही है।


अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/राज्य वित्त आयोग-25-02/2015 354 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक- 29/03/2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रबंधक एम०आई०एस० को सभी नगर निकायों को सूचित एवं अनुश्रवण करने हेतु/विभागीय आई टी मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी नगर निकायों को ई-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (10 प्रतियों में) को सूच्यार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के 140 कार्यरत नगर निकायों के बीच द्वितीय किस्त की कुल राशि ₹449.925 करोड़ के वितरण की विवरणी :-

नगर निगम						
क्र०सं०	नगर निगम का नाम	आवंटन योग्य कुल राशि (रुपये में)	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है			आवंटन योग्य कुल राशि (4+5+6) (रुपये में)
			3104	3105	3106	
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना नगर निगम	63,59,48,140.00	32,64,42,065.00	4,72,85,226.00	26,22,20,849.00	63,59,48,140.00
2	बिहारशरीफ नगर निगम	11,43,29,611.00	5,86,87,167.00	85,00,851.00	4,71,41,593.00	11,43,29,611.00
3	आरा नगर निगम	10,54,61,041.00	5,41,34,793.00	78,41,440.00	4,34,84,808.00	10,54,61,041.00
4	गया नगर निगम	18,83,90,734.00	9,67,03,893.00	1,40,07,587.00	7,76,79,254.00	18,83,90,734.00
5	भागलपुर नगर निगम	15,31,98,805.00	7,86,39,326.00	1,13,90,930.00	6,31,68,549.00	15,31,98,805.00
6	मुजफ्फरपुर नगर निगम	13,55,67,376.00	6,95,88,850.00	1,00,79,952.00	5,58,98,574.00	13,55,67,376.00
7	दरभंगा नगर निगम	11,18,42,565.00	5,74,10,525.00	83,15,932.00	4,61,16,108.00	11,18,42,565.00
8	कटिहार नगर निगम	9,52,50,634.00	4,88,93,630.00	70,82,257.00	3,92,74,747.00	9,52,50,634.00
9	बेगूसराय नगर निगम	9,17,03,012.00	4,70,72,581.00	68,18,477.00	3,78,11,954.00	9,17,03,012.00
10	मुंगेर नगर निगम, मुंगेर	8,23,40,772.00	4,22,66,800.00	61,22,362.00	3,39,51,610.00	8,23,40,772.00
11	पूर्णियाँ नगर निगम	11,91,46,208.00	6,11,59,595.00	88,58,989.00	4,91,27,624.00	11,91,46,208.00
	कुल (क)	1,83,31,78,898.00	94,09,99,225.00	13,63,04,003.00	75,58,75,670.00	1,83,31,78,898.00

नगर परिषद

क्र०सं०	नगर निगम का नाम	आवंटन योग्य कुल राशि (रुपये में)	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है			आवंटन योग्य कुल राशि (4+5+6) (रुपये में)
			3104	3105	3106	
1	3	6	7	8	9	10
12	नगर परिषद, बाढ़	2,36,23,188.00	1,34,68,082.00	15,13,311.00	86,41,795.00	2,36,23,188.00
13	नगर परिषद, खगौल	1,75,61,359.00	1,00,12,106.00	11,24,988.00	64,21,265.00	1,75,61,359.00
14	नगर परिषद, दानापुर	6,96,81,995.00	3,97,27,192.00	44,63,854.00	2,54,90,949.00	6,96,81,995.00
15	नगर परिषद, मोकामा	2,57,25,180.00	1,46,66,472.00	16,47,965.00	94,10,743.00	2,57,25,180.00
16	नगर परिषद, मसौडी	2,42,30,966.00	1,38,14,591.00	15,52,246.00	88,64,129.00	2,42,30,966.00
17	नगर परिषद, फूलवारीशरीफ	3,15,35,629.00	1,79,79,133.00	20,20,184.00	1,15,36,312.00	3,15,35,629.00
18	नगर परिषद, बक्सर	3,89,44,254.00	2,22,02,949.00	24,94,783.00	1,42,46,522.00	3,89,44,254.00
19	नगर परिषद, झुमरांव	2,34,23,885.00	1,33,54,457.00	15,00,542.00	85,68,886.00	2,34,23,885.00
20	नगर परिषद, सासाराम	5,66,76,416.00	3,23,12,435.00	36,30,712.00	2,07,33,269.00	5,66,76,416.00
21	नगर परिषद, डेहरीडालमिया नगर	5,55,24,349.00	3,16,55,615.00	35,56,910.00	2,03,11,824.00	5,55,24,349.00
22	नगर परिषद, भूमडा	2,01,35,692.00	1,14,79,789.00	12,89,897.00	73,66,006.00	2,01,35,692.00
23	नगर परिषद, हिलसा	2,18,26,866.00	1,24,43,962.00	13,98,238.00	79,84,666.00	2,18,26,866.00
24	नगर परिषद, जहानाबाद	4,27,93,095.00	2,43,97,255.00	27,41,342.00	1,56,54,498.00	4,27,93,095.00
25	नगर परिषद, अरवल	1,97,29,176.00	1,12,48,024.00	12,63,858.00	72,17,294.00	1,97,29,176.00
26	नगर परिषद, औरंगाबाद	4,27,14,085.00	2,43,52,212.00	27,36,280.00	1,56,25,593.00	4,27,14,085.00
27	नगर परिषद, औरंगाबाद	3,73,03,206.00	2,12,67,353.00	23,89,657.00	1,36,46,196.00	3,73,03,206.00
28	नगर परिषद, नवादा	2,67,55,968.00	1,52,54,146.00	17,13,998.00	97,87,824.00	2,67,55,968.00
29	नगर परिषद, सीतामढ़ी	2,67,55,968.00	1,52,54,146.00	17,13,998.00	97,87,824.00	2,67,55,968.00
30	नगर परिषद, हाजीपुर	5,89,38,705.00	3,36,02,214.00	37,75,633.00	2,15,60,858.00	5,89,38,705.00
31	नगर परिषद, मोतिहारी	4,96,33,224.00	2,82,96,962.00	31,79,522.00	1,81,56,740.00	4,96,33,224.00
32	नगर परिषद, रक्सौल	2,17,76,260.00	1,24,15,111.00	13,94,994.00	79,66,155.00	2,17,76,260.00
33	नगर परिषद, रक्सौल	5,03,96,175.00	2,87,31,935.00	32,28,398.00	1,84,35,842.00	5,03,96,175.00
34	नगर परिषद, बेतिया	5,28,20,380.00	3,01,14,026.00	33,83,692.00	1,93,22,662.00	5,28,20,380.00
35	नगर परिषद, बगहा	5,28,20,380.00	3,01,14,026.00	33,83,692.00	1,93,22,662.00	5,28,20,380.00
36	नगर परिषद, नरकटियागंज	2,08,38,505.00	1,18,80,477.00	13,34,921.00	76,23,107.00	2,08,38,505.00
37	नगर परिषद, नरकटियागंज	2,08,38,505.00	1,18,80,477.00	13,34,921.00	76,23,107.00	2,08,38,505.00
38	नगर परिषद, बेनीपुर	3,87,02,152.00	2,20,64,923.00	24,79,274.00	1,41,57,955.00	3,87,02,152.00
39	नगर परिषद, बेनीपुर	3,87,02,152.00	2,20,64,923.00	24,79,274.00	1,41,57,955.00	3,87,02,152.00
40	नगर परिषद, मधुबनी	2,83,58,321.00	1,61,67,682.00	18,16,645.00	1,03,73,994.00	2,83,58,321.00
41	नगर परिषद, मधुबनी	2,83,58,321.00	1,61,67,682.00	18,16,645.00	1,03,73,994.00	2,83,58,321.00
42	नगर परिषद, समरतीपुर	2,57,27,635.00	1,46,67,872.00	16,48,122.00	94,11,641.00	2,57,27,635.00
43	नगर परिषद, समरतीपुर	2,57,27,635.00	1,46,67,872.00	16,48,122.00	94,11,641.00	2,57,27,635.00
44	नगर परिषद, सुल्तानगंज	2,24,06,797.00	1,27,74,593.00	14,35,387.00	81,96,817.00	2,24,06,797.00
45	नगर परिषद, सुल्तानगंज	2,24,06,797.00	1,27,74,593.00	14,35,387.00	81,96,817.00	2,24,06,797.00
46	नगर परिषद, जमालपुर	4,12,43,162.00	2,35,13,608.00	26,42,052.00	1,50,87,502.00	4,12,43,162.00
47	नगर परिषद, जमालपुर	4,12,43,162.00	2,35,13,608.00	26,42,052.00	1,50,87,502.00	4,12,43,162.00
48	नगर परिषद, लखीसराय	4,27,39,615.00	2,43,66,745.00	27,37,916.00	1,56,34,954.00	4,27,39,615.00
49	नगर परिषद, लखीसराय	4,27,39,615.00	2,43,66,745.00	27,37,916.00	1,56,34,954.00	4,27,39,615.00
50	नगर परिषद, शेखपुरा	2,68,94,751.00	1,53,33,272.00	17,22,888.00	98,38,591.00	2,68,94,751.00
51	नगर परिषद, शेखपुरा	2,68,94,751.00	1,53,33,272.00	17,22,888.00	98,38,591.00	2,68,94,751.00
52	नगर परिषद, जमुई	3,85,27,459.00	2,19,65,328.00	24,68,083.00	1,40,94,048.00	3,85,27,459.00
53	नगर परिषद, जमुई	3,85,27,459.00	2,19,65,328.00	24,68,083.00	1,40,94,048.00	3,85,27,459.00
54	नगर परिषद, खगडिया	1,88,27,101.00	1,07,33,732.00	12,06,072.00	68,87,297.00	1,88,27,101.00
55	नगर परिषद, खगडिया	1,88,27,101.00	1,07,33,732.00	12,06,072.00	68,87,297.00	1,88,27,101.00
56	नगर परिषद, बीहट	2,70,10,146.00	1,53,99,059.00	17,30,281.00	98,80,806.00	2,70,10,146.00
57	नगर परिषद, बीहट	2,70,10,146.00	1,53,99,059.00	17,30,281.00	98,80,806.00	2,70,10,146.00
58	नगर परिषद, छपरा	7,82,95,183.00	4,46,37,755.00	50,15,639.00	2,86,41,789.00	7,82,95,183.00
59	नगर परिषद, छपरा	7,82,95,183.00	4,46,37,755.00	50,15,639.00	2,86,41,789.00	7,82,95,183.00
60	नगर परिषद, सिवान	5,26,87,889.00	3,00,38,491.00	33,75,203.00	1,92,74,195.00	5,26,87,889.00
61	नगर परिषद, सिवान	5,26,87,889.00	3,00,38,491.00	33,75,203.00	1,92,74,195.00	5,26,87,889.00
62	नगर परिषद, गोपालगंज	2,74,05,902.00	1,56,24,690.00	17,55,633.00	1,00,25,579.00	2,74,05,902.00
63	नगर परिषद, गोपालगंज	2,74,05,902.00	1,56,24,690.00	17,55,633.00	1,00,25,579.00	2,74,05,902.00
64	नगर परिषद, सहरसा	6,25,48,629.00	3,56,60,309.00	40,06,800.00	2,28,81,432.00	6,25,48,629.00

क्र०सं०	नगर निगम का नाम	आवंटन योग्य कुल राशि (रुपये में)	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है			आवंटन योग्य कुल राशि (4+5+6) (रुपये में)
			3104	3105	3106	
1	2	3	4	5	6	7
49	नगर परिषद, मधेपुरा	2,63,33,768.00	1,50,13,444.00	16,86,949.00	96,33,375.00	2,63,33,768.00
50	नगर परिषद, सुपौल	2,94,91,834.00	1,68,13,923.00	18,89,258.00	1,07,88,653.00	2,94,91,834.00
51	नगर परिषद, अररिया	3,65,91,640.00	2,08,61,721.00	23,44,026.00	1,33,85,893.00	3,65,91,640.00
52	नगर परिषद, फारबिसगंज	1,97,15,275.00	1,12,40,098.00	12,62,968.00	72,12,209.00	1,97,15,275.00
53	नगर परिषद, किशनगंज	4,61,81,814.00	2,63,29,229.00	29,58,429.00	1,68,94,156.00	4,61,81,814.00
	कुल (ख)	1,52,22,77,631.00	86,78,82,972.00	9,75,17,638.00	55,68,77,021.00	1,52,22,77,631.00

नगर पंचायत

क्र०सं०	नगर निगम का नाम	आवंटन योग्य कुल राशि (रुपये में)	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है			आवंटन योग्य कुल राशि (4+5+6) (रुपये में)
			3104	3105	3106	
1	2	3	4	5	6	7
54	नगर पंचायत, फतुहा	1,99,77,008.00	1,09,27,426.00	14,30,912.00	76,18,670.00	1,99,77,008.00
55	नगर पंचायत, मनेर	1,66,90,229.00	91,29,561.00	11,95,483.00	63,65,185.00	1,66,90,229.00
56	नगर पंचायत, बख्तियारपुर	1,98,10,809.00	1,08,36,517.00	14,19,007.00	75,55,285.00	1,98,10,809.00
57	नगर पंचायत, खुशरूपुर	64,94,622.00	35,52,558.00	4,65,197.00	24,76,867.00	64,94,622.00
58	नगर पंचायत, विक्रम	91,93,373.00	50,28,775.00	6,58,503.00	35,06,095.00	91,93,373.00
59	नगर पंचायत, नौबतपुर	1,01,41,816.00	55,47,574.00	7,26,438.00	38,67,804.00	1,01,41,816.00
60	नगर पंचायत, मोहनिया	70,27,689.00	38,44,146.00	5,03,380.00	26,80,163.00	70,27,689.00
61	नगर पंचायत, पीरो	1,36,32,734.00	74,57,107.00	9,76,485.00	51,99,142.00	1,36,32,734.00
62	नगर पंचायत, बिहियाँ	1,06,49,384.00	58,25,213.00	7,62,794.00	40,61,377.00	1,06,49,384.00
63	नगर पंचायत, जगदीशपुर	1,54,36,254.00	84,43,633.00	11,05,667.00	58,86,954.00	1,54,36,254.00
64	नगर पंचायत, कोईलवर	74,18,494.00	40,57,917.00	5,31,372.00	28,29,205.00	74,18,494.00
65	नगर पंचायत, शाहपुर	80,91,043.00	44,25,800.00	5,79,546.00	30,85,697.00	80,91,043.00
66	नगर पंचायत, विक्रमगंज	2,03,23,783.00	1,11,17,114.00	14,55,749.00	77,50,920.00	2,03,23,783.00
67	नगर पंचायत, कोआथ	78,94,247.00	43,18,155.00	5,65,447.00	30,10,645.00	78,94,247.00
68	नगर पंचायत, नोखा	1,20,09,041.00	65,68,948.00	8,60,182.00	45,79,911.00	1,20,09,041.00
69	नगर पंचायत, नासरीगंज	95,79,753.00	52,40,127.00	6,86,177.00	36,53,449.00	95,79,753.00
70	नगर पंचायत, कोचस	71,57,093.00	39,14,932.00	5,12,646.00	27,29,515.00	71,57,093.00
71	नगर पंचायत, ईसलामपुर	1,42,82,030.00	78,12,275.00	10,22,990.00	54,46,765.00	1,42,82,030.00
72	नगर पंचायत, सिलाव	1,08,52,659.00	59,36,407.00	7,77,353.00	41,38,899.00	1,08,52,659.00
73	नगर पंचायत, राजगीर	2,18,76,159.00	1,19,66,264.00	15,66,943.00	83,42,952.00	2,18,76,159.00
74	नगर पंचायत, बोधगया	1,69,85,418.00	92,91,028.00	12,16,628.00	64,77,762.00	1,69,85,418.00
75	नगर पंचायत, शेरघाटी	1,67,71,671.00	91,74,108.00	12,01,319.00	63,96,244.00	1,67,71,671.00
76	नगर पंचायत, टेकारी	84,32,713.00	46,12,697.00	6,04,016.00	32,16,000.00	84,32,713.00
77	नगर पंचायत, मखदुमपुर	1,50,03,235.00	82,06,773.00	10,74,651.00	57,21,811.00	1,50,03,235.00
78	नगर पंचायत, रफीगंज	1,40,68,291.00	76,95,358.00	10,07,683.00	53,65,250.00	1,40,68,291.00
79	नगर पंचायत, नवीनगर	1,12,26,025.00	61,40,638.00	8,04,098.00	42,81,289.00	1,12,26,025.00
80	नगर पंचायत, दाउदनगर	2,16,04,200.00	1,18,17,502.00	15,47,465.00	82,39,233.00	2,16,04,200.00
81	नगर पंचायत, बारसलीगंज	1,67,09,724.00	91,40,224.00	11,96,883.00	63,72,617.00	1,67,09,724.00
82	नगर पंचायत, हिसुआ	1,31,59,356.00	71,98,171.00	9,42,578.00	50,18,607.00	1,31,59,356.00
83	नगर पंचायत, नवगछिया	2,00,22,490.00	1,09,52,308.00	14,34,170.00	76,36,012.00	2,00,22,490.00
84	नगर पंचायत, कहलगाँव	1,35,79,881.00	74,28,198.00	9,72,699.00	51,78,984.00	1,35,79,881.00
85	नगर पंचायत, बांका	1,97,67,186.00	1,08,12,656.00	14,15,883.00	75,38,647.00	1,97,67,186.00
86	नगर पंचायत, अमरपुर	1,09,87,196.00	60,09,999.00	7,86,991.00	41,90,206.00	1,09,87,196.00
87	नगर पंचायत, बैरगनिया	1,80,45,635.00	98,70,966.00	12,92,572.00	68,82,097.00	1,80,45,635.00
88	नगर पंचायत, बेलसंड	90,41,128.00	49,45,498.00	6,47,598.00	34,48,032.00	90,41,128.00
89	नगर पंचायत, डुमरा	62,37,586.00	34,11,960.00	4,46,786.00	23,78,840.00	62,37,586.00
90	नगर पंचायत, जनकपुर रोड	61,29,236.00	33,52,692.00	4,39,025.00	23,37,519.00	61,29,236.00
91	नगर पंचायत, मोतीपुर	1,24,10,076.00	67,88,312.00	8,88,909.00	47,32,855.00	1,24,10,076.00
92	नगर पंचायत, कांटी	1,14,79,839.00	62,79,473.00	8,22,278.00	43,78,088.00	1,14,79,839.00
93	नगर पंचायत, साहेबगंज	94,25,828.00	51,55,928.00	6,75,153.00	35,94,747.00	94,25,828.00
94	नगर पंचायत, लालगंज	1,50,60,766.00	82,38,241.00	10,78,772.00	57,43,753.00	1,50,60,766.00
95	नगर पंचायत, महनार	1,95,80,054.00	1,07,10,293.00	14,02,479.00	74,67,282.00	1,95,80,054.00
96	नगर पंचायत, महुआ	50,76,807.00	27,77,016.00	3,63,639.00	19,36,152.00	50,76,807.00
97	नगर पंचायत, शिवहर	1,18,21,425.00	64,66,323.00	8,46,742.00	45,08,360.00	1,18,21,425.00
98	नगर पंचायत, चकिया	86,20,897.00	47,15,633.00	6,17,496.00	32,87,768.00	86,20,897.00
99	नगर पंचायत, सुगौली	1,70,88,620.00	93,47,479.00	12,24,021.00	65,17,120.00	1,70,88,620.00

क्र०सं०	नगर निगम का नाम	आवंटन योग्य कुल राशि: (रुपये में)	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है			आवंटन योग्य कुल राशि (4+5+6) (रुपये में)
			3104	3105	3106	
1	2	3	4	5	6	7
100	नगर पंचायत, ढाका	1,75,61,375.00	96,06,077.00	12,57,882.00	66,97,416.00	1,75,61,375.00
101	नगर पंचायत, अरेराज	1,15,49,257.00	63,17,446.00	8,27,249.00	44,04,562.00	1,15,49,257.00
102	नगर पंचायत, केसरिया	76,07,753.00	41,61,442.00	5,44,928.00	29,01,383.00	76,07,753.00
103	नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	1,22,78,920.00	67,16,572.00	8,79,513.00	46,82,835.00	1,22,78,920.00
104	नगर पंचायत, मेहसी	1,07,52,692.00	58,81,724.00	7,70,194.00	41,00,774.00	1,07,52,692.00
105	नगर पंचायत, चनपटिया	1,12,20,615.00	61,37,679.00	8,03,711.00	42,79,225.00	1,12,20,615.00
106	नगर पंचायत, रामनगर	2,03,70,829.00	1,11,42,848.00	14,59,121.00	77,68,860.00	2,03,70,829.00
107	नगर पंचायत, जयनगर	84,72,967.00	46,34,716.00	6,06,902.00	32,31,349.00	84,72,967.00
108	नगर पंचायत, जंझारपुर	1,31,37,897.00	71,86,433.00	9,41,041.00	50,10,423.00	1,31,37,897.00
109	नगर पंचायत, घोघरडीहा	79,98,640.00	43,75,257.00	5,72,927.00	30,50,456.00	79,98,640.00
110	नगर पंचायत, दलसिंह सराय	94,31,968.00	51,59,288.00	6,75,593.00	35,97,087.00	94,31,968.00
111	नगर पंचायत, रोसड़ा	1,19,75,703.00	65,50,713.00	8,57,796.00	45,67,194.00	1,19,75,703.00
112	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर	1,31,14,442.00	71,73,603.00	9,39,361.00	50,01,478.00	1,31,14,442.00
113	नगर पंचायत, बड़हिया	1,95,72,630.00	1,07,06,231.00	14,01,947.00	74,64,452.00	1,95,72,630.00
114	नगर पंचायत, झांझा	1,66,53,023.00	91,09,205.00	11,92,822.00	63,50,996.00	1,66,53,023.00
115	नगर पंचायत, बरबीघा	1,94,09,797.00	1,06,17,162.00	13,90,284.00	74,02,351.00	1,94,09,797.00
116	नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर	1,55,06,660.00	84,82,145.00	11,10,710.00	59,13,805.00	1,55,06,660.00
117	नगर पंचायत, बखरी	1,57,75,515.00	86,29,209.00	11,29,968.00	60,16,338.00	1,57,75,515.00
118	नगर पंचायत, तेघड़ा	2,21,63,904.00	1,21,23,659.00	15,87,555.00	84,52,690.00	2,21,63,904.00
119	नगर पंचायत, बलिया	1,85,22,559.00	1,01,31,842.00	13,26,733.00	70,63,984.00	1,85,22,559.00
120	नगर पंचायत, सोनपुर	1,53,68,163.00	84,06,387.00	11,00,790.00	58,60,986.00	1,53,68,163.00
121	नगर पंचायत, दिघवारा	1,40,56,315.00	76,88,806.00	10,06,825.00	53,60,684.00	1,40,56,315.00
122	नगर पंचायत, मढ़ौरा	1,29,09,318.00	70,61,398.00	9,24,668.00	49,23,252.00	1,29,09,318.00
123	नगर पंचायत, रिविलगंज	1,63,56,731.00	89,47,136.00	11,71,598.00	62,37,997.00	1,63,56,731.00
124	नगर पंचायत, एकमा बाजार	1,24,52,203.00	68,11,358.00	8,91,924.00	47,48,921.00	1,24,52,203.00
125	नगर पंचायत, परसा बाजार	1,47,25,029.00	80,54,594.00	10,54,722.00	56,15,713.00	1,47,25,029.00
126	नगर पंचायत, महाराजगंज	1,01,54,170.00	55,54,333.00	7,27,322.00	38,72,515.00	1,01,54,170.00
127	नगर पंचायत, मैरवा	98,81,421.00	54,05,140.00	7,07,784.00	37,68,497.00	98,81,421.00
128	नगर पंचायत, मीरगंज	1,06,43,122.00	58,21,790.00	7,62,344.00	40,58,988.00	1,06,43,122.00
129	नगर पंचायत, बरौली	1,86,10,661.00	1,01,80,037.00	13,33,043.00	70,97,581.00	1,86,10,661.00
130	नगर पंचायत, कटैया	91,37,004.00	49,97,945.00	6,54,462.00	34,84,597.00	91,37,004.00
131	नगर पंचायत, बीरपुर	86,28,568.00	47,19,829.00	6,18,045.00	32,90,694.00	86,28,568.00
132	नगर पंचायत, निर्मली	83,19,591.00	45,50,819.00	5,95,916.00	31,72,856.00	83,19,591.00
133	नगर पंचायत, मुरलीगंज	1,22,79,129.00	67,16,688.00	8,79,529.00	46,82,912.00	1,22,79,129.00
134	नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर	87,80,704.00	48,03,048.00	6,28,944.00	33,48,712.00	87,80,704.00
135	नगर पंचायत, कसवा	1,34,71,899.00	73,69,132.00	9,64,963.00	51,37,804.00	1,34,71,899.00
136	नगर पंचायत, बनमंछी	1,39,71,826.00	76,42,592.00	10,00,774.00	53,28,460.00	1,39,71,826.00
137	नगर पंचायत, जोगवनी	1,67,67,419.00	91,71,783.00	12,01,013.00	63,94,623.00	1,67,67,419.00
138	नगर पंचायत, बहादुरगंज	1,75,92,817.00	96,23,274.00	12,60,138.00	67,09,405.00	1,75,92,817.00
139	नगर पंचायत, ठाकुरगंज	82,42,055.00	45,08,405.00	5,90,362.00	31,43,288.00	82,42,055.00
140	नगर पंचायत, मनिहारी	1,14,94,677.00	62,87,605.00	8,23,330.00	43,83,742.00	1,14,94,677.00
	कुल (ग)	1,14,37,93,471.00	62,56,55,273.00	8,19,27,538.00	43,62,10,660.00	1,14,37,93,471.00
	कुल योग (क+ख+ग)	4,49,92,50,000.00	2,43,45,37,470.00	31,57,49,179.00	1,74,89,63,351.00	4,49,92,50,000.00

08/09/2017
(जय प्रकाश मंडल)
सरकार के विशेष सचिव।

auth

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-29/3/17

विषय:- पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹449.925 करोड़ (चार सौ उनचास करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र राज्य में कार्यरत 140 नगर निकायों के बीच सहायक अनुदान रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

पंचम् राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद- 243-I-सह पठित- 243-Y के अनुपालन तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा- 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा- 71 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त विभागीय अधिसूना सं०- 12530, दिनांक- 13.12.2013 द्वारा किया गया। पंचम् राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री ए०एन०पी० सिन्हा द्वारा दिनांक- 02.02.2016 को समर्पित किये गये प्रतिवेदन के आलोक में वित्त विभाग द्वारा संकल्प सं०- 1510, दिनांक- 24.02.2016 निर्गत किया गया।

2. पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के शुद्ध कर राजस्व (SOTR) का 8.5% राशि में से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹638.54 करोड़ (छः सौ अड़तीस करोड़ चौवन लाख रु०) मात्र तथा अनुदान के रूप में राज्य के कुल व्यय के 2.75% में से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹287.31 करोड़ (दो सौ सतासी करोड़ एकतीस लाख रु०) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹925.85 करोड़ (नौ सौ पचीस करोड़ पचासी लाख रु०) मात्र में से प्रथम किस्त के रूप में क्रमशः ₹319.27 करोड़ (तीन सौ उन्नीस करोड़ सताइस लाख रु०) एवं ₹143.655 करोड़ (एक सौ तेतालिस करोड़ पैसठ लाख पचास हजार रु०) अर्थात् कुल ₹462.925 करोड़ (चार सौ बासठ करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र तथा मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना के लिए अनुदान की राशि में से कुल ₹13.00 करोड़ (तेरह करोड़ रु०) की स्वीकृति के पश्चात् द्वितीय किस्त के रूप में शेष राशि क्रमशः ₹319.27 करोड़ (तीन सौ उन्नीस करोड़ सताइस लाख रु०) एवं ₹130.655 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ पैसठ लाख पचास हजार रु०) अर्थात् कुल ₹449.925 करोड़ (चार सौ उनचास करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र राज्य में कार्यरत 140 नगर निकायों के बीच सहायक अनुदान के रूप में वितरित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 28.03.2017 के मद संख्या- 07 के रूप में प्रदान की गयी है।

3. **वित्त विभागीय संकल्प सं०- 1510, दिनांक- 24.02.2016 द्वारा निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं:-**

- (i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल व्यय (वास्तविकी) का 2.75% स्थानीय निकायों को Devolution + Grant के रूप में अंतरित किया जायेगा।
- (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Devolution के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व (SOTR) का 8.5% राशि स्थानीय निकायों को अंतरित की जायेगी।
- (iii) पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों को कुल हस्तांतरित होने वाली राशि का अंतर्विभाजन 70:30 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक किया जायेगा।
- (iv) स्थानीय निकायों को कुल अंतरित की जाने वाली राशि के द्वितीय किश्त की विमुक्ति के पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि का लेखा एवं आंतरिक अंकक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

4. **स्थानीय शहरी निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग :-**

- (क) अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग नगर निकायों द्वारा आयोग की अनुशंसा के अध्याय- 9 के अनुरूप किया जायेगा।
- (ख) पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा संख्या- 9.6.5 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान (Grant) के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग क्षमता वर्द्धन, ई० म्यूनिसिपलिटि एवं डाटा बेस प्रबंधन, प्रशिक्षण, Model City & Town Master Plan एवं DPR तैयार करने जैसे कार्यों पर किया जायेगा। अनुदान के वैसे घटक जिनके लिए केन्द्रीयकृत प्रबंधन करना आवश्यक होगा, उनके लिए विभाग द्वारा राशि के व्यय हेतु आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश दिये जायेंगे, जिसमें आवश्यकतानुसार केन्द्रीयकृत प्रबंधन भी किया जा सकेगा।
- (ग) PPP कार्यक्रम के अंतर्गत Viability Gap Funding एवं शहरी निकायों में SPUR जैसे विशेषज्ञ सेवाएँ (Professional Services) उपलब्ध कराने के लिए इसी मद से राशि दी जायेगी।
- (घ) Overall Performance के अंतर्गत दी जाने वाली राशि “मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना” के नाम से दिया जाएगा। वर्ष में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 01 नगर निगम को पाँच करोड़ रु०, 02 नगर परिषदों को तीन-तीन करोड़ तथा दो नगर पंचायतों को एक-एक करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जायेगी। यह राशि विभागीय संकल्प सं०- 1039, दिनांक- 17.02.2016 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध करायी जायेगी तथा संबंधित नगर निकाय द्वारा संकल्प के प्रावधानों के तहत व्यय की जायेगी।

5. **Devolution के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग :-**

- (क) Devolution के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से नगर निकायों द्वारा 30 प्रतिशत राशि का व्यय “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना” पर किया जायेगा। इसके लिए नगर निकायों द्वारा अलग खाता खोलकर उतनी राशि उस खाते में रखी जायेगी।

(ख) Devolution क रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से नगर निकायों द्वारा 20 प्रतिशत राशि का व्यय “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” पर किया जायेगा। इसके लिए नगर निकायों द्वारा अलग खाता खोलकर उतनी राशि उस खाते में रखी जायेगी।

6. विभागीय संकल्प संख्या- 6261, दिनांक- 12.09.2016 द्वारा यह निर्णय संसूचित है कि शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि में से 30 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना एवं 20 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना पर व्यय करने के साथ अवशेष 50 प्रतिशत राशि का व्यय नगर निकायों की आवश्यकतानुसार पूर्व से प्रावधानित उनके कर्मियों के वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभों के बकाये के भुगतान, ठोस कचरा-प्रबंधन एवं विद्युत विपत्रों के भुगतान के अतिरिक्त मासिक वेतन भुगतान तथा सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर भी कर सकेंगे।

7. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की कर्णांकित कुल राशि ₹92585.00 लाख (नौ सौ पचीस करोड़ पचासी लाख रु०) मात्र में से प्रथम किस्त तथा मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना हेतु राशि के आवंटन के पश्चात् संलग्न सूची के अनुरूप अवशेष कुल राशि ₹449.925 करोड़ (चार सौ उनचास करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र स्वीकृत की जा रही है।

8. स्वीकृत ₹449.925 करोड़ (चार सौ उनचास करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

9. राशि की निकासी के लिए पूर्व के अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के सामंजन के शर्त को मंत्रिपरिषद् द्वारा शिथिल किया गया है, इसलिए सभी कोषागार पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के सामंजन के बिना भी राशि की निकासी कर नगर निकायों के पी०एल० खाता में अंतरित की जाय।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

10. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम-270 के आलोक में यथा TC फार्म संख्या-42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक- 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी० भी० नंबर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय बिहार को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

11. पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय-8 के टेबल 8.9 में की गयी अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि Devolution एवं Grant के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को

